कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (CEPC) ने कोविड-19 के पूर्वावलोकन एवं वर्तमान स्थिति का आकलन और समीक्षा करने के लिए, COA सदस्यों, क्षेत्रीय कालीन निर्माता संघों के प्रतिनिधियों, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक 17 अप्रैल, 2020 को आयोजित की।

सीईपीसी के अध्यक्ष श्री सिद्ध नाथ सिंह ने बैठक में भाग लेने वालों का स्वागत किया और बैठक के लिए अपना बहुमूल्य समय साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि आज उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया। और उद्योग के लाभ के लिए उपयोगी सुझाव और समाधान प्राप्त करने के लिए उम्मीद है।

अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को सूचित किया कि परिषद ने पहले भी 9 और 12 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति के सदस्यों और क्षेत्रीय संघों, प्रमुख सदस्यों, ख़रीदने वाले प्रतिनिधियों, उद्योग सहयोगियों और DGFT और उद्योग विभाग, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ दो बैठकें कीं । सदस्यों की जानकारी और संदर्भ के लिए बैठक का संक्षिप्त विवरण भेजा।

अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग की चिंताजनक समस्याओं और उधोग की आवश्यकताओं से अवगत कराना तथा साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल संभव समाधान, सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त करना है।

अध्यक्ष महोदय ने उद्योग के बारे में प्रमुख सचिव MSME को जानकारी दी और वीसी की बैठक में सभी प्रतिभागियों को का परिचय कराया।

बैठक के दौरान प्राप्त सदस्यों की चिंता को निम्नानुसार आलेखित किया गया ।

1. विभिन्न बंदरगाहों पर और बंदरगाह के रास्ते पर लंबित शिपमेंट की आवाजाही की अनुमति देने के बारे में आग्रह किया गया।

2. सभी निर्यात आदेश निर्धारित समय अनुसूची के साथ हैं और देरी से निर्यात आदेश रद्द हो जाएंगे और उत्पाद भी बदलते फैशन ट्रेंड में पुराने हो जाएंगे।

3. बंदरगाहों पर समान परिवहन के लिए जाने वाले निर्यात शिपमेंट वाले ट्रकों को महाराष्ट्र की सीमा पर रोक दिया जा रहा है ।

4. कारखानों / इकाइयों की बुनाई और खोलने के कार्य को कैसे पुनः आरंभ करें।

5. बुनकरों का काम उनके घरों पर बुनकरों द्वारा किया जाता है, बुनकरों के घरों से तैयार कालीनों को कैसे इकट्ठा किया जाए और बुनकरों को उनके काम के लिए भुगतान किया जाए।

6. सदस्य निर्यातकों के लंबित जीएसटी दावों के तेजी से निष्पादन के लिए अनुरोध किए।

7. वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ऑनलाइन प्रचार और विपणन के लिए राज्य सरकार के साथ एमडीए योजना के तहत वित्त पोषण करने के लिए अनुरोध किया।

8. एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए ब्याज दरों में छूट पर विचार करना।

9. बंदरगाह पर शिपमेंट की निकासी में समस्या का कारण - श्रम की कमी।

10. बुनकरों द्वारा अपने घर या विभिन्न क्षेत्रों में स्थित छोटी इकाइयों / करघों में बुनाई की जाती है, एक करघा पर 8-10 बुनकर काम करते हैं और करघे की संख्या हजारों में होती है, कैसे काम शुरू करते हैं और उस करघे के काम की अनुमति कैसे प्राप्त करते हैं । बुनकरों के लिए अनुमति प्राप्त करना संभव नहीं है और कोई भी बड़ी मात्रा में निर्यातकों को अनुमति नहीं देगा।

11. लगभग 60% सदस्य छोटे निर्यातक (MSME) हैं और बहुत खराब वित्तीय स्थिति में हैं, संकट के समय में बुनकर के प्रवास को रोकने के लिए बिना काम के बुनकरों को मजदूरी की लागत वहन करने में असमर्थ हैं और इसलिए उन्हें सरकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

12. कालीनों के परिष्करण के लिए कच्चे माल और अन्य संबद्ध सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला कैसे सुनिश्चित करें।

13. वर्तमान परिदृश्य में कम से कम 3-6 महीने के लिए बिजली के निर्धारित शुल्क को माफ करने का अनुरोध।

14. भविष्य निधि की योजना की वर्तमान दिशानिर्देश रुपये के भुगतान के साथ न्यूनतम 100 श्रमिकों के लिए है। 15,000 / -जैसा लाभकारी नहीं है और व्यावहारिक रूप से कालीन उद्योग के लिए लागू नहीं है और छोटे, कुटीर आधार ग्रामीण उद्योग के लिए विशिष्ट योजना के लिए अनुरोध किया गया है।

15. आवागमन के लिए प्रत्येक इकाई को कम से कम एक वाहन की अनुमति देने और 1 + 2 (एक चालक और दो व्यक्तियों) की अनुमति का अनुरोध किया गया।

16. ज्ञानपुर में डीएम कार्यालय में बड़ी भीड़ से बचने के लिए निर्यातकों को पास जारी करने के लिए डीएम द्वारा भदोही और गोपीगंज में कैंप कार्यालय खोलने का सुझाव।

श्री नवनीत सहगल, आईएएस, प्रमुख सचिव, एमएसएमई और निर्यात संवर्धन, सरकार। U.P., लखनऊ के अनुसार, प्रतिभागियों को निम्नानुसार स्पष्ट करें:

1. सरकार ने पहले ही सख्त दिशा-निर्देश के साथ उद्योगों को खोलने की अनुमति देने का आदेश जारी कर दिया है।

2. हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है।

3. एमसीडी क्षेत्रों के बाहर गाँव के क्षेत्रों में अपने घरों में बुनकरों द्वारा काम करते समय कोई प्रतिबंध नहीं है।

4. एसईजेड और औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयाँ खोलने के लिए, समुचित स्वच्छता के लिए व्यवस्था के साथ दिशानिर्देशों का पालन करना, भोजन और सामाजिक दूरी के साथ इकाइयों के परिसर में रहने की व्यवस्था करना।

5. परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और सदस्य बुनकरों के घरों से तैयार कालीनों के संग्रह के लिए विशिष्ट अनुमति के लिए संबंधित डीसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

6. बुनकरों को भुगतान करने के लिए भुगतान के डिजिटल मोड का उपयोग करने या अपने बैंकरों से संपर्क करने की सलाह दी।

7. सभी के लिए अपने क्षेत्रों के उद्योग विभाग के डीसी से संपर्क करने की सलाह दी

8. सदस्य संबंधित क्षेत्रों के डीएम कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं और मामले के आधार पर अनुमति देंगे।

9. सदस्यों को अपनी ताकत के 1 / 3rd तक न्यूनतम श्रमिकों और बुनकरों के साथ काम शुरू करने के लिए सलाह का सुझाव दिया।

10. पूर्व के लंबित जीएसटी दावों की मंजूरी के लिए, अपने कार्यालय को सीईपीसी या संघों के माध्यम से लंबित दावों का विवरण अधिमानतः प्रस्तुत करने की सलाह दी।

11. वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ऑनलाइन प्रचार और विपणन के लिए राज्य सरकार के साथ एमडीए योजना के तहत सुझाव पर विचार करेंगे।

12. अपने घर पर बुनकरों द्वारा गाँवों में काम करने के लिए कोई समस्या नहीं है और जब प्रशासन कंपनी को अनुमति जारी कर रहा है, तो कंपनी अपने श्रमिकों को आईडी कार्ड जारी कर सकती है और प्रत्येक श्रमिक के लिए व्यक्तिगत अनुमति जारी करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उनका विभाग अनुमति प्राप्त करने में निर्यातकों की मदद करेगा।

13. उत्पादों के परिष्करण के लिए कच्चे माल और संबद्ध सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के मुद्दे पर गौर करेंगे।

14. पहले ही उद्योग की ओर से बिजली शुल्क माफ करने का मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन बिजली कंपनियां पहले से ही घाटे में चल रही हैं। हालाँकि, यदि संभव हो तो वह घाटे को कवर करने के मुद्दे पर गौर करेगा।

श्री सहगल ने सीईपीसी अध्यक्ष को सुझाव दिया कि वे सदस्य-निर्यातकों से पूरी प्रतिक्रिया लें और उन्हें सोमवार तक माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक में विचार के लिए सदस्यों के मुद्दों और चिंताओं /आवश्यकताओं को लिखित रूप में भेजें।

श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव, (लॉजिस्टिक), वाणिज्य विभाग, सरकार। भारत ने निम्न विंदु पर प्रतिभागियों को अपनी राय स्पष्ट की :

1. सरकार से स्पष्ट निर्देश है कि निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ परिवहन के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

ii राज्य सरकार माल के परिवहन के लिए भी आदेश जारी किया है और सदस्यों की जानकारी के लिए ईडी, सीईपीसी को प्रतिलिपि प्रदान करेगा।

iii सदस्य अपने CHAs की मदद ले सकते हैं और शिपमेंट की निकासी के लिए कस्टम अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह सरकार दे सकते हैं।पास जारी करने के लिए कस्टम अधिकारियों को अधिकृत किया है।

iv यदि सदस्य अभी भी शिपमेंट की मंजूरी में समस्या का सामना कर रहे हैं, तो फॉलो-अप के लिए विशिष्ट मामलों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री गोविंदराजू एन.एस., आईएएस, आयुक्त और निदेशक उद्योग, सरकार, श्री राजेंद्र प्रसाद, आईएएस, डीएम भदोही, श्री सुशील कुमार पटेल, आईएएस, डीएम मिर्जापुर और बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों ने कालीन उद्योग को सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित देखभाल के साथ कालीन उद्योग के लिए सभी सहायता प्रदान की और एक तिहाई क्षमता के साथ काम शुरू करने का अनुरोध किया।

डीएम भदोही ने आगे बताया कि उन्होंने पास जारी करने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया या निर्यातकों ने निजी यात्रा के बजाय पास जारी करने के लिए आवश्यक विवरण के साथ मेल पर अनुरोध भेज सकते हैं।

श्री उमेश कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त (उद्योग), वाराणसी ने प्रतिभागियों को निम्नानुसार सूचित किया:

1. उनके विभाग ने पहले ही 600 से अधिक पास जारी कर चुका है।

ii बुनकरों को घर में काम करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

iii दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने कारखानों में श्रमिकों की आवाजाही के लिए, क्षेत्र के डीसी सूची प्रस्तुत करने की अनुमति जारी करेंगे।

iv हमने पहले ही इकाइयों में 2 श्रमिकों के लिए पास जारी कर दिए हैं।

v. बुनकरों / श्रमिकों को उदारतापूर्वक मार्च वेतन का भुगतान करने के लिए समुदाय को निर्यात धन्यवाद दिया। आगे बुनकरों को मानवीयता के आधार पर अप्रैल 2020 के महीने के लिए वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया ताकि वे निर्यातकों के साथ रह सकें।

श्री अमित कुमार, डिप्टी डीजीएफटी, वाराणसी ने बताया कि सरकार। 31 दिसम्बर, 2020 तक MEIS योजना को बढ़ा दिया है । ROADTEP योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। DGFT ने निर्यातकों को हल करने और मार्गदर्शन करने के लिए हेल्प लाइन को भी अधिसूचित किया है और वह कालीन उद्योग के मुद्दों को हल करने के लिए हमेशा उपलब्ध है।

अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि उद्योग के लाभ के लिए स्थिति का उपयोग करने के लिए परिषद 20 अप्रैल, 2020 के बाद अगली बैठक के लिए वापस आ जाएगी।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

****

<u>प्रतियोगियों की सूची</u>

1. श्री सिद्ध नाथ सिंह, अध्यक्ष, सीईपीसी ----- अध्यक्ष

2. श्री नवनीत सहगल, आईएएस, प्रमुख सचिव, एमएसएमई और निर्यात संवर्धन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

3. श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव, (लॉजिस्टिक), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

4. श्री गोविंदराजू एन.एस., आईएएस, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार

5. श्री के बालाजी, प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल विधुत निगम लिमिटेड

6. श्री राजेंद्र प्रसाद, आईएएस, डीएम भदोही

7. श्री सुशील कुमार पटेल, आईएएस, डीएम मिर्जापुर।

8. श्री उमेश कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त (उद्योग), वाराणसी।

9. श्री अमित कुमार, डिप्टी डीजीएफटी, वाराणसी

10 श्री ओंकार नाथ मिश्रा, अध्यक्ष एआईसीएमए

11. श्री जुनैद अंसारी- अध्यक्ष EUPEA

12. श्री अब्दुल हादी- उपाध्यक्ष, एआईसीएमए

13. श्री उमेश कुमार गुप्ता, सदस्य सीओसी, सीईपीसी

14. श्री एच जे हुसैनी, सदस्य सीओए, सीईपीसी

15. श्री आरडी शर्मा, अध्यक्ष, आगरा एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन

16. श्री गौरव शर्मा - प्रबंध निदेशक, मेसर्स ओबेटी प्रा लिमिटेड

17. श्री राजेश, मेसर्स ओबेटी प्रा। लिमिटेड

18. श्री अरशद वज़िरी,

19. श्री नवीन कपूर, वाराणसी

20. श्री रवि पाटोदिया, प्रबंध निदेशक मेसर्स पटोदिया एक्सपोर्ट्स, भदोही

21. सुश्री अलफा मेवा वाला, प्रबंध निदेशक, मेसर्स अग्नि

22. श्री इफ्तकार अहमद, मेसर्स आर्ट पैलेस

23. श्री आदित्य गुप्ता- प्रबंध निदेशक, मेसर्सशारदा एक्सपोर्ट्स, मेरठ

24. श्री इम्तियाज, प्रबंध निदेशक, मेसर्स टेक्सिको

25. श्री पंकज बरनवाल, प्रबंध निदेशक, भदोही कालीन

26. श्री अनुराग बरनवाल, मेसर्स तुलसी राम गया प्रसाद

27. श्री राजीव अग्रवाल, वाराणसी

28. श्री संजय कुमार, कार्यकारी निदेशक-सह-सचिव सीपीसी

29. श्री जग मोहन, प्रचार अधिकारी, सीईपीसी

30. श्रीमती स्मिता भाटिया, सहायक निदेशक, सीईपीसी

31. श्री अनुज, निर्यात संवर्धन अधिकारी, सीईपीसी

****